

ग्राम-मानबेला, तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, गोरखपुर

योजना हेतु क्षेत्रफल 5.15 एकड़ यानि 2.085 हेक्टेयर

क्रम सं०	आराजी संख्या	क्षेत्रफल हे० में	
1	822मि०	0.500	
2	824मि०	0.172	
3	860मि०	0.259	
4	862मि०	0.024	
5	863मि०	0.300	
6	864मि०	0.169	
7	865मि०	0.391	
8	879मि०	0.060	
9	883मि०	0.210	
	योग	2.085	

12-5-23
ओ० पी० सिवारी
सर्वेयर
गो० वि० ०

17/05/23
महसीलदार (से० नि०)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कार्यालय: विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं०सं०) गोरखपुर।

—: अभिनिर्णय :—

- 1— वाद सं०— 1373 / 2006
- 2— ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील व जिला— मानवेला, खुटहन, हवेली, सदर व गोरखपुर।
- 3— अर्जन निकाय का नाम— सचिव, गोरखपुर विकास, प्राधिकरण, गोरखपुर।
- 4— अध्याप्ति का प्रयोजन— सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि का स्थायी अर्जन।
- 5— अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र— 77.539 हे०
- 6— क्या भूमि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है? हां
- 7— क्या धारा-17(1) लागू है? हां
- 8— धारा-4(1)/17 की अधिसूचना की संख्या/तिथि— संख्या-4208/9-अ-3-2003-7एल०ए०-2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003

प्रकाशन:-

- (क) उ०प्र० असाधारण गजट दिनांक 22.11.03
- (ख) दैनिक आज दिनांक 30.12.03
- (ग) दैनिक चेतना विचार धारा दिनांक 30.12.03
- (घ) पब्लिक नोटिस दिनांक 15.07.04
- 9— धारा-6 (1)/17 की अधिसूचना की संख्या/तिथि— संख्या-5253/8-आ-3-2004-07एल०ए०-03 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2004

प्रकाशन:-

- (क) उ०प्र० असाधारण गजट दिनांक 28.12.04
- (ख) दैनिक गोरखपुर केसरी दिनांक 04.01.05
- (ग) दैनिक स्वतंत्र चेतना दिनांक 05.01.05
- (घ) पब्लिक नोटिस दिनांक 24.02.05
- 10— अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक— 29.12.05, 28.09.06, 22.02.07 व 16.06.07
- 11— अभिनिर्णय का दिनांक— 09.02.2009
- 12— निर्धारित प्रतिकर— क. कृषक भूमि का प्रतिकर

(करार नियमावली-1997) मु०-3,41,46,340.00

ख. कृषक भूमि का प्रतिकर

(अनिवार्य अर्जन से) मु०-7,06,41,464.57

ग. अन्य दर से — शून्य

घ. सम्पत्ति का प्रतिकर शून्य

इ. 30% सोलिडियम मु०-2,11,92,439.37

च. 12% अतिरिक्त प्रतिकर मु०-1,36,55,924.50

योग:- 13,96,36,168.44

योग पूर्णांक:- 13,96,36,168.00

- 13— भूमि अध्याप्ति व्यय— 1,39,63,617.00 रुपया
- 14— व्याज की धनराशि— 1,35,70,057.86 रुपया
- 15— पूंजीकृत मूल्य— 2,92,563.00 रुपया

-: अभिनिर्णय का औचित्य :-

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जपनद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप से 77.539 हे० भूमि ग्राम-मानवेल, तप्पा-खुदहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जांचोपरांत शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उ०प्र० लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत अपने आदेश सं०-4208/9-आ-3-2003-07 एल०ए०/2003 लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.03, दो स्थानीय समाचार पत्र आज व चेतना विचार धारा में दिनांक 30.12.03 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 15.07.04 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 15.07.04 को निर्धारित किया गया।

धारा-6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं०-52-53/8-आ-3-2004-07 एल०ए०/2003 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2004 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 28.12.04, दो समाचार पत्र "गोरखपुर कैंसरी" एवं "स्वतंत्र चेतना" में दिनांक 05.01.05 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 24.02.05 को करायी गयी। इस प्रकार धारा-6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 24.02.05 निर्धारित किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत भूमि की नाप जोख करायी गयी। जिसमें आराजी सं० 573 रकबा 0.069 हे०, कब्रिस्तान आराजी सं० 696 मि० रकबा 0.010 हे०, 700 मि० रकबा 0.002 हे०, 702 मि० रकबा 0.003 हे०, 883 मि० रकबा 0.002 हे० कुल रकबा 0.017 हे० राजस्व अभिलेख में अंकित रकबों से अधिक का गजट पाया गया। जिसको अभिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया है, तथा विज्ञप्ति के डी नोटिफिकेशन हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया। तत्पश्चात धारा-9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 19.04.05 से 21.04.05 तक का समय नियत करके आपत्ति की सुनवाई की गयी।

चूंकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति निकाय से प्राप्त हुआ था। इसलिए नियमानुसार अनुमानित प्रतिकर मु० 11,77,843.33 पैसे को 80% 9,42,274.66 पैसा प्रति हे० के आधार पर सम्बंधित कृषकों को 80% अनुमानित प्रतिकर का भुगतान करते हुए भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:-

दिनांक	कब्जे में हस्तान्तरित क्षेत्रफल(हे० में)
29.12.2005	62.832-5/6 हे०
28.09.2006	0.887 हे०
22.02.2007	8.509-5/6 हे०
16.06.07	0.412 हे०

अधिकार हस्तान्तरित भू क्षेत्र एवं अधिक विज्ञप्ति क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद/रिट/विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है। जिसमें मा० न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा० न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित भू-क्षेत्रों के अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी है और न

ही इसे अभिनिर्णय में शामिल किया गया है। मा0 न्यायालय से सम्बंधित वादों का विवरण निम्नवत है :-

क्रमांक	वाद संख्या/रिट याचिका सं०/वि० अनुज्ञा सं०	न्यायालय का नाम	वादी/प्रतिवादी	प्रभावित गाटा सं०/क्षेत्रफल हे० में
1	2	3	4	5
1	64900/05	मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	श्रीमती सबरुननिशा बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	678मि०/0.028
2	74963/05	उपरोक्त	विश्वनाथ बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	911मि०/0.194
3	52598/06	उपरोक्त	संजय कुमार बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	695मि०/0.328
4	वि.अ.या. 17627/05	मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	आनन्द कुमार सिंह व शिव कुमार शर्मा बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	
5	रि.या.सं. 63626/05	मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद	रमेश कुमार गुप्ता व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	715मि०/0.372 717मि०/0.077 719मि०/0.320 720मि०/0.462
6	62476/05	उपरोक्त	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	707मि०/0.731 712मि०/0.231 702मि०/0.240 716मि०/0.644
7	72346/05	उपरोक्त	मोहम्मददीन खां व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	554मि०/0.167 571मि०/0.300
8	64675/05	उपरोक्त	हनुमान प्रसाद व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	704मि०/0.127
9	68746/05 वा०सं० 1014/05	उपरोक्त मा०सिविल जज जू. डी. गोरखपुर।	श्रीमती कौशिल्या देवी बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	567मि०/0.060
10	वा.सं.651/05	मा०सिविल जज जू. डि. गोरखपुर।	ओम प्रकाश बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	गाटा सं० 719 मि० क्षेत्रफल क्रमांक 05 पर रिट याचिका सं० 63626/05 में शामिल है।

11	.. 324 / 04	उपरोक्त	श्रीमती चम्पा पाण्डेय बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	554मि०-0.022हे०
12.	वि०अ०या०सं०- 19004 / 05	मा० उच्चतम न्यायालय दिल्ली	हीरामन बनाम उ०प्र० सरकार व न्य	678मि०-0.060
13.	" -18527 / 05	उपरोक्त	रामनयन व अशर्फी बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	670मि० / 0.085 671मि० / 0.045 673मि० / 0. 059-1 / 3
14	" "-17848 / 05	उपरोक्त	दयाशंकर लाल गुप्ता बनाम उ०प्र०सरकार व अन्य	675मि० / 0.259
सम्पूर्ण योग:-				4.811-1 / 3हे०

अधिकार हस्तान्तरण के उपरान्त गाटा सं० 708मि० रकबा 0.128हे० व गाटा सं० 697मि० रकबा 0.300हे० से सम्बंधित भूस्वामी कमशः श्रीमती सुनीता शर्मा व श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका सं० 8390 / 07 व 9691 / 07 दाखिल की गयी है। जिसमें मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों तक कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः अधिकार हस्तान्तरण की गयी कुल 72.641-2 / 3हे० भूमि में से गाटा सं० 708मि० रकबा 0.126हे० व 697मि० रकबा 0.300हे० कुल 0.426हे० भूमि को अलग करके शेष क्षेत्रफल 72.215-2 / 3हे० पर अभिनिर्णय की कार्यवाही की जा रही है।

धारा-9(1) व 9(3) के आपत्ति सुनवाई की नियत तिथि को अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है :-

आ०सं० 679 के कृषक श्री भृगुनाथ मिश्र ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मा० न्यायालय अपर आयुक्त गोरखपुर के न्यायालय में निगरानी वाद सं० 552 / 4 भृगुनाथ बनाम राजेश बैगरह अन्तर्गत धारा-33 / 39 एल०ए० निस्तारण हेतु विचाराधीन है। नियमानुसार विवादित आराजी के सम्बंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार ही प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

आ०सं० 568 के काश्तकार सत्यनरायन पुत्र बच्चु लाल आ०सं० 548 व 822,862,863 व 9114 के कृषक श्री शिवकरन पुत्र मक्खन आदि ने भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 2500 रुपया प्रतिवर्गमी० की दर से प्रतिकर की मांग किया है, परन्तु अपने कथन के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

आ०सं० 700 रकबा 0.198हे० के कृषक श्री रामचन्द्र चौहान द्वारा 50000 रुपया प्रति डि० की दर से, आ०सं० 691 रकबा 0.455हे० के कृषक श्री नूरुलहसन द्वारा 25,00,000.00 रुपया प्रति हे० की दर से प्रतिकर की मांग किया है, परन्तु अपने कथन के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आ०सं० 554 रकबा 0.567हे० 654 रकबा 0.291हे० आ०सं० 652 को अधिग्रहीत क्षेत्रफल में अपने सजरा के अनुसार प्रतिकर की मांग मोहम्मददीन खां ने किया है। इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय है।

श्रीमती सितारुननिशा, जामील अली आदि द्वारा 0.100हे० भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया है, नियमानुसार भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। श्री रामवचन पुत्र खुबलाल ने भी अपनी आ०सं० 679 रकबा 1.898हे० को

अधिग्रहण से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया है, भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री मोहरम अली आदि ने आ0सं0 525 रकबा 0.474हे0 में मकान व पेड़ का विवरण अंकित करके भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का अनुरोध किया है। आ0सं0 706मि0 के सम्बंध में, जोखू पुत्र सोमई आ0सं0 565 रकबा 0.182हे0 दूबर पुत्र भगवान दास आ0सं0 576 रकबा 1.096हे0 के सम्बंध में श्रीमती इन्द्रावती देवी आ0सं0 824,860,908 के सम्बंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का अर्जन से मुक्त करने अथवा अर्जन से मुक्त न होने की दशा में 2500.00 रूपया प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की मांग किया गया है।

शिव शंकर पुत्र रामलखन ने आ0सं0 851 रकबा 0.032हे0 आ0सं0 639 रकबा 2.532हे0 में स्थित निर्माण को छोड़कर प्रतिकर की मांग किया है। आ0सं0 714 रकबा 0.243हे0 के सम्बंध में भगेलू पुत्र बादू ने भूमि को अर्जन से मुक्त करने अथवा 50,000.00 प्रति डि0 की दर से प्रतिकर की मांग किया है। भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करना सम्भव नहीं है। प्रतिकर निर्धारण के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

आराजी सं0-691 रकबा-0.455हे0 के सम्बन्ध में नुरुल हसन पुत्र रहमतुल्लाह आराजी सं0-772 रकबा-0.163 हे0 के सम्बन्ध में सुल्तान अली, मुमताज अली पुत्रगण सुन्ना, आराजी सं0-547 रकबा-0.040हे0 आराजी सं0-796 रकबा-0.121हे0 आराजी सं0-904 रकबा-0.239, आराजी सं0-568मि0 रकबा-0.482हे0 के सम्बन्ध में रेहानुल्लाह पुत्र स्व0 हौशिलदार खॉ अलग-अलग प्रार्थना पत्र देकर भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0-638, 851 के सम्बन्ध में श्री रामबृक्ष मौर्य पुत्र स्व0 महादेव एवं रामअछैवर मौर्य पुत्र स्व0 महादेव ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने का अनुरोध किया है, जो इस स्तर पर विचारणीय नहीं है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। श्री रामकुमार पुत्र मोतीलाल, श्रीमती सोनमती देवी पत्नी मोतीलाल व श्रीराम पुत्र मोतीलाल ने आराजी सं0-673 के सम्बन्ध में मु0-2500/-रु0 प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की मांग की है, परन्तु इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0-548, 822, 862, 863, 911 के सम्बन्ध में श्रीमती सुगन्धी देवी पत्नी स्व0 जयकरन, शिवसरन पुत्र मखन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग है, साथ ही साथ मु0-2500/-प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की भी मांग की है, परन्तु इन लोगों ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। मुस्तकीम खॉ, जावेद खॉ, जुनैद खॉ पुत्रगण स्व0 असलम व हदीशुननिशा पत्नी असलम ने आराजी सं0-547, 796, 904, 568 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वर्तमान बाजार मूल्य पर मुआवजे की मांग की है, परन्तु कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री जोगेन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव व पुत्रगण रामजीत यादव ने आराजी सं0-576 रकबा-1.096हे0 के सम्बन्ध में अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। श्री जय राम त्रिपाठी, कटेसर प्रसाद त्रिपाठी ने आराजी सं0-554 को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। श्रीमती बेचनी देवी पत्नी मदन लाल गुप्ता ने आराजी सं0-570 में रकबा 0.006हे0 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री लक्ष्मी प्रसाद पुत्र खूबलाल व बासमती देवी ने आराजी सं०-679 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी को अर्जन से मुक्त रखा जाय, प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विक्रय पत्र की प्रति दिनांक 28.01.03 व 20-04-04 की छाया प्रति संलग्न किया है। चूंकि इस स्तर पर भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त नहीं की जा सकती है। अतः प्रतिकर के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर विचार कते हुए प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

आराजी सं०-570 रकबा-0.216हे० के सम्बन्ध में विजय शर्मा, जितेन्द्र शर्मा पुत्रगण विश्वनाथ शर्मा एवं मुबीहन निशा पत्नी, स्व० समसुद्दीन अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है जो इस स्तर पर सम्भव नहीं हैं। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री लक्ष्मण पुत्र दूबर, रामायण, सुवाष, सुखारी पुत्रगण सीताराम पुत्र लालता ने आराजी सं०-865मि० निर्मल, बीरबल, दुर्बल, रामसरन पुत्रगण कोमल ने आराजी सं०-879 श्रीमती जिलेबा पत्नी फेकु, श्रीमती मेढिया व श्रीमती इसरावती पुत्रीगण फेकु माधव पुत्र सहती ने आराजी सं०-893 व 899 मि० नन्द किशोर, छोटेलाल पुत्रगण रामप्रसाद, दिनेश, महेश, विनोद पुत्रगण राधेश्याम ने आराजी सं०-853 रामानन्द पुत्र दीपक, ईश्वरचन्द, सुवाष चन्द, उमेश चन्द पुत्रगण लखराज, सुनरा देवी पत्नी लखराज ने आराजी सं०-750 व 910 के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री सुदीश व विजय ने आराजी सं०-864 व 923 के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन लोगों को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। आराजी सं०-704मि० रकबा-0.254हे० के सम्बन्ध में श्री झगरू पुत्र रामानन्द व आराजी सं०-755 रकबा-0.821हे० के सम्बन्ध में शब्बीर हुसैन, शमशीर हुसैन, अफसीर हुसैन, मुशीर हुसैन, तैयब हुसैन, अतहर हुसैन, अल्ताफ हुसैन पुत्रगण इस्मतदार खान, श्रीमती रफीकुन पुत्री नवाब खॉ श्रीमती नन्दरुननिशा पुत्री सहादत खॉ, श्रीमती शकीरा खातून पुत्री शहाबुद्दीन, श्रीमती हफीजुननिशा पुत्री मोहम्मद अली, अकरम हुसैन, अख्तर हुसैन, एजाज हुसैन, आशिक हुसैन, जाविर हुसैन, कैसर हुसैन, मुबिसर हुसैन पुत्रगण सुलेमान खॉ, श्रीमती हाकीमुननिशा पत्नी वासिफ अली, आराजी सं०-651 रकबा-0.101हे० के सम्बन्ध में श्रीमती लालमती पत्नी रामसमुझ मौर्य ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने अथवा अवमुक्त न होने की दशा में बाजारू दर से प्रतिकर की मांग की है इन लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री दशरथ पुत्र गजाधर ने आराजी सं०-576 रकबा-0.75डि० के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि इनके खाते में इस्माइल का नाम गलत तरीके से अंकित हो गया है जिसके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर के समक्ष मुकदमा धारा-299बी० ज०वि०अ० के अन्तर्गत विचाराधीन है। मुकदमे के निस्तारण तक प्रतिकर को न देने की मांग की है। इस सम्बन्ध में मा० न्यायालय से कोई स्थगन आदेश दाखिल नहीं किया गया है। इस लिए प्रतिकर वितरण के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आराजी सं०-599 के सम्बन्ध में रामलक्षन, रामकरन पुत्रगण मिठू व श्रीमती भानमती पत्नी मिठू व रातबचन पुत्र मिठू आराजी सं०-570 रकबा-0.08डि० के सम्बन्ध में चमरू पुत्र बहादुर आराजी सं०-655 रकबा-0.393हे० के सम्बन्ध में मो० यासीन पुत्र रहमतुल्लाह व मुस्तकीन आराजी सं०-656 रकबा 0.506हे० के सम्बन्ध में हरिवंश पुत्र कालीचरन आराजी सं०-638 रकबा-2.416हे० के सम्बन्ध में अर्जुन मौर्य पुत्र महादेव मौर्य,

आराजी सं०-676, 668 के सम्बन्ध में वृजराज पुत्र रामसमुझ आराजी सं०-855 रकबा-0.020हे० के सम्बन्ध में रामअचल पुत्र अशरफी आराजी सं०-667 व 688 के सम्बन्ध में सुरेन्द्र मौर्य पुत्र वृजराम मौर्य आराजी सं०-706 के सम्बन्ध में सम्पत पुत्र झकरी ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने और मुक्त न होने की दशा में रु० 2500/-प्रति वर्गमी० की दर से मुआवजे की मांग की है। परन्तु इन लोगों ने अपने कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन लोगों को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी नं०-694 रकबा-0.22डि० के सम्बन्ध में भगन पुत्र भागीरथी, आराजी नं०-890 रकबा-0.052हे० के सम्बन्ध में सीताराम, डेबा पुत्र रामरती ने आराजी सं०-694 रकबा-0.22डि० के सम्बन्ध में रामबेलास पुत्र सितालू आराजी सं०-753 रकबा-0.111हे० को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थना प्रस्तुत किया है। जो सम्भव नहीं है अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय है।

श्री दशरथ पुत्र गजाधर ने आराजी सं०-576 के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए 15000/- प्रति डि० के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन लोगों को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। आराजी सं०-657 के सम्बन्ध में श्री जोखू पुत्र श्री शम्भू, आराजी सं०-870 के सम्बन्ध में अर्जुन पुत्र भगौती, गजानन पुत्र भगौती, सुनील पुत्र भगौती, सुभग पुत्र रामबल, मनकुँवरी पत्नी शनिचर ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वर्तमान बाजारू दर से वाजिब कीमत की मांग की है। परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन लोगों को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-766 रकबा-0.125हे०, 694 रकबा-2.128हे० के सम्बन्ध में सुल्तान अली व मुल्तान अली पुत्रगण सुन्ना, फुन्नी पुत्र सहतू व रामचन्द्र पुत्र सितालू आदि ने आराजी सं०-700 रकबा-0.198हे० के सम्बन्ध में रामचन्द्र चौहान पुत्र रंगीलाल ने प्रार्थना प्रस्तुत करते हुए रु० 50,000.00/-प्रति डि० के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है। परन्तु किसी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन लोगों को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-701 रकबा-0.17-1/3डि० के सम्बन्ध में श्री देवनन्दन प्रसाद ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए रु० 1450/-प्रति वर्गमी० की दर से प्रतिकर की मांग की है परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया अतः इन लोगों को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। श्री लतीफ पुत्र सोनई ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए आराजी सं०-647 रकबा-0.186हे० को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है। जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-764 रकबा-0.085हे० के सम्बन्ध में श्री रामकिशुन पुत्रगण छोटकन, रामराज, हरिराम पुत्रगण, जयश्री आराजी सं०-595 के सम्बन्ध में श्री रामनिवास पुत्र रामअवध व सन्तराम पुत्र रामपति व श्रीराम पुत्र रामपति ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है, और मुक्त न होने की दशा में 2500/-प्रति वर्ग मी० की दर से प्रतिकर की मांग किया है। उन लोगों द्वारा अपने कथन के साक्ष्य में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः इन लोगों को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-736 रकबा-0.175एअर के सम्बन्ध में मकबुल पुत्र सफी ने रु० 350.00/-प्रति वर्गफीट की दर से एवं आराजी सं०-702 रकबा 0.31डि० के सम्बन्ध में प्रेमशंकर व शिवशंकर, कृपाशंकर ने 1450.00/-प्रति वर्गमी० की दर से मुआवजे की मांग की है परन्तु अपने कथन के साक्ष्य में कोई सबूत दाखिल नहीं किये हैं। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-546 रकबा-0.591हे०, आराजी सं०-867 रकबा-0.117एअर के सम्बन्ध में श्री बेचन पुत्र बनारसी व रामकेश पुत्र मदनबिहारी द्वारा अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है। जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-678 के सम्बन्ध में महादेव पुत्र बहादुर व माधो पुत्र पुत्तिलाल आराजी सं०-583 के सम्बन्ध में रामबदन पुत्र मिठू आराजी सं०-599 के सम्बन्ध में रामरतन पुत्र मिठू व रामनाथ पुत्र मिठू आराजी सं०-753 के सम्बन्ध में विश्वनाथ पुत्र झगरू आराजी सं०-679 के सम्बन्ध में रामचन्दर पुत्र खूबलाल आराजी सं०-824, 860 व 908 के सम्बन्ध में दूबर पुत्र भगवानदास आराजी सं०-548, 822, 862, 863 व 911 के सम्बन्ध में रामप्रीत पुत्र बुद्ध व झीनक पुत्र बुद्ध आराजी सं०- 867 के सम्बन्ध में पूर्णमासी पुत्र गया ने अलग-अलग आपत्ति प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने व अर्जन से मुक्त न होने की दशा में मु०-20 लाख रू० प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की मांग की है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्रीकृष्ण व सोमई पुत्रगण राहुल, भगौती व पड़ोही पुत्रगण जगदेव ने आराजी सं०-875 व 789, मुहम्मद यासीन ने आराजी सं०-554 सुकरुल्लाह ने आराजी सं०-768 श्री हरिराम ने आराजी सं०-699 श्री सीताराम पुत्र सरन आराजी सं०-666 रघुनाथ पुत्र ओरी ने आराजी सं०-760 श्री झीनक पुत्र ओरी ने आराजी सं०-760 के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने अथवा रू० 50 हजार प्रति डि० के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय है।

आराजी सं०-699मि० के सम्बन्ध में पारसनाथ चौहान पुत्र श्री कतवारू, आराजी सं०-665, 654 के सम्बन्ध में गयासुद्दीन व अलाउद्दीन आराजी सं०- 704,705 के सम्बन्ध में विजय कुमार, विरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण रामदुलारे व रामजतन पुत्र लहुरी ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-748 व 549 के सम्बन्ध में संजय पुत्र रामबली व सौवर पुत्र गोल्हई व मनोज, सनोज, विनोद पुत्रगण रामनरेश ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र देकर भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की है जो अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-767 व 855 रकबा-0.117एअर के सम्बन्ध में ओमप्रकाश पुत्र मदन बिहारी व रामकेश पुत्र मदन बिहारी व अच्छेलाल व पुत्र मदन बिहारी ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-694 रकबा-2.128हे० एअर के सम्बन्ध में कन्तराज पुत्र रामलगन ने रू० 25 लाख प्रति एकड़ की दर से, आराजी सं०-865 के सम्बन्ध में सुखारू पुत्र सीताराम ने रू० 2500/-प्रति वर्गमी० की दर से, आराजी सं०-706मि० के सम्बन्ध में रामकिशोर पुत्र रामानन्द ने रू० 2500/-प्रति वर्गमी० की दर से, प्रतिकर की मांग की है परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-667, 668 के सम्बन्ध में बुद्धिराम, बलिराम, दयाराम श्यामसुन्दर पुत्रगण त्रिलोकी व त्रिलोकीनाथ रामसमुझ ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए रू० 250/-प्रति वर्गफीट की दर से प्रतिकर की मांग की है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं०-864 व 913 के सम्बन्ध में रामसमुझ उर्फ गुड्डू पुत्र मोलहू आराजी सं०- 855 के सम्बन्ध में पूर्णमासी पुत्र गया आराजी सं०-757 के सम्बन्ध में बुद्ध

पुत्र काशी, आराजी सं०-864 के सम्बन्ध में सुदर्शन पुत्र रामदेव आराजी सं०-855 के सम्बन्ध में विजय पुत्र रामदेव ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है। जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय है।

आराजी सं०- 748, 849 के सम्बन्ध में रामनरेश, चाफदबली पुत्रगण रामहरख रामाश्रय व जमुना, छोटेलाल, महेश, बड़े, छोटे, सॉवर, आराजी सं०-759 के सम्बन्ध में महेन्द्र प्रसाद पुत्र शिवदत्त, आराजी सं०- 867 व 855 के सम्बन्ध में सुवाष पुत्र बहरैची, आराजी सं०-704 के सम्बन्ध में रामरती पुत्र बदल, आराजी सं०-554 के सम्बन्ध में श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी इन्दर प्रसाद, आराजी सं०-554, 652, 654 के सम्बन्ध में मोहम्मददीन खान पुत्र इब्राहिम, आराजी सं०-567, 754 के सम्बन्ध में निजामुद्दीन पुत्र सफी आराजी सं०-554 के सम्बन्ध में असरफी देवी पत्नी गोरख राम यादव द्वारा अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए सबूत दाखिल करने हेतु समय की मांग की है। जो अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

आराजी सं०-768 के सम्बन्ध में हमीदुल्लाह पुत्र सकुल व नसीउल्लाह पुत्र सकुल, आराजी सं०-758 के सम्बन्ध में अतवारी पत्नी रामदेव आराजी सं०-694 के सम्बन्ध में भगन पुत्र सितालु, आराजी सं०-567, 754, 909 के सम्बन्ध में नुरुल्लाह, ऐनुल्लाह, नईमुल्लाह पुत्रगण मजीद व निजामुद्दीन पुत्र सफी आराजी सं०-794, 876, 878 व 880 के सम्बन्ध में मन्ता पुत्र बनारसी आराजी सं०-768 के सम्बन्ध में सनाउल्लाह, नशीबुल्लाह, पुत्रगण सददीक आराजी सं०-794, 876, 878, 880 के सम्बन्ध में श्रीमती मन्तोरा देवी पत्नी सन्तराज ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र देकर भूमि को अर्जन से मुक्त करने अथवा अर्जन से मुक्त न होने की दशा में 20 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की मांग की है परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री रफीक पुत्र हसन ने आराजी सं०-567, 754, 909 का 1/3 भाग के सम्बन्ध में 36लाख 30 हजार प्रति एकड़ मुहम्मद शेरजमा खान मुहम्मद हासीन खान अब्दुल क्यूम खॉ मकदुन बक्श खॉ बरकत उल्लाह खॉ व अब्दुल्ला खॉ पुत्रगण कासिम खॉ ने आराजी सं०-547मि० के सम्बन्ध में रू० 20 लाख 51 हजार प्रति एकड़ की मु० शेरजमा खॉ पुत्र कासिम खॉ आराजी सं०-900मि० के रू० 36 लाख 30 हजार प्रति एकड़ तथा इसी आराजी के सम्बन्ध में अब्दुल क्यूतम खॉ, मकदुम बक्श खॉ, बरकतउल्लाह खॉ, मो० हासिम खॉ, अब्दुल्लाह खॉ ने अलग-अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए 36 लाख 30 हजार प्रति एकड़ की दर से प्रतिकर की मांग की है। इन सभी आपत्ति कर्ताओं द्वारा अपने प्रार्थना पत्रके पक्ष में ग्राम में निस्पादित 8 विक्रय पत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी है जो परिशिष्ट 1 पर अंकित है। इस पर आगे चलकर विचार किया जायेगा।

श्री विजय कुमार मिश्र, बुद्धिसागर मिश्र, बेदप्रकश मिश्र, अमरचन्द मिश्र, अवधेश मिश्र, अनिल कुमार मिश्र ने आराजी सं०-589 रकबा-0.07डि० के सम्बन्ध में रू० 50,000.00/-प्रति डि० की दर से प्रतिकर की मांग की है। साक्ष्य स्वरूप इनके द्वारा दो बैनामे की छाया प्रति दी गयी है जो परिशिष्ट 1 पर अंकित है जिन पर आगे चलकर विचार किया जायेगा।

आराजी सं०-708 रकबा-0.063डि० के सम्बन्ध में श्रीराम उजागिर शुक्ला पुत्र दशरथ शुक्ला ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए 1450/-प्रति वर्गमी० की दर से प्रतिकर की मांग की है, परन्तु कथन के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसी आराजी के सम्बन्ध में विन्ध्याचल दीक्षित पुत्र देवराज दीक्षित द्वारा भी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए रू० 1450/-प्रति वर्गमी० की दर से प्रतिकर की मांग की है जो व्यवहारिक नहीं है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आ०सं० 759 रकबा 0.133हे० के सम्बन्ध रामआधारे पुत्र रामदत्त द्वारा रुपया 20,54,000.00प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की मांग की गयी है। परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री रिजवानुल्लाह खां पुत्र स्व० हौलिसदार खां ने आ० सं० 568,796,904 व 547 रकबा 0.862हे० के सम्बंध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए रुपया 3630000.00 एकड़ के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है। आपत्ति कर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ आठ विक्रय पत्रों की छाया प्रतियां भी संलग्न किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट एक पर अंकित है। इन पर आगे चल कर विचार किया जायेगा।

आ०सं० 573 रकबा 0.069हे० के सम्बंध में श्री साहिद अली उपाध्यक्ष मुस्लिम घोसी एसोशियेसन गोरखपुर एवं मो० अली सक्रेटरी मुस्लिम घोसी एसोशियेसन गोरखपुर द्वारा दिनांक 20.04.05 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की है कि उक्त आराजी सर्व श्री साहिद अली, कलाम अली, ताजिर अली, रुस्तम अली, इश्हाक, बट्टू दिलजान, लतिफ, मुन्ना, वलीमोहम्मद, खैरुनिशा, कोमल, शमीउल्लाह, सुन्ना, फुन्नी, जोगी, गिरधारी, रोसा, शैफू, मिठू, अजीमुल्लाह, मो० हनीफ, इब्राहिम, महंगू, इद्रीश, जामिनअली, सदेरे, आलम एवं अमीन अली का परिवारिक कब्रिस्तान है। इसे अर्जन से मुक्त किया जाये। इसी आराजी के सम्बंध में सुल्तान अली मुम्ताज अली पुत्रगण सुन्ना फुन्नी पुत्र सहतू ताजिर अली व उत्तम अली ने अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त आराजी को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप खसरा खतौनी फसली सन् 1411 का इन्तखाब प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बंध में सम्बंधित भूमि अर्जन अमीन से मौके की जांच करायी गयी जिसमें इनको कथन सत्य पाया गया। सम्बंधित अमीन द्वारा की गयी जांच की पुष्टि मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा तहसीलदार सदर गोरखपुर क्षेत्रीय नायबतहसीलदार एवं ग्राम लेखपाल द्वारा करायी गयी। जिनकी आख्या के अनुसार उक्त आराजी मौके कब्रगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाना बताया गया। उक्त आराजी के डी नोटिफिकेशन के सम्बंध में शासन को अलग से पत्राचार किया गया है, तथा अध्यापति निकाय यानि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को अवगत कराया जा चुका है। सम्प्रादायिक सौहार्द एवं धार्मिक आस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आराजी का कब्जा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं किया गया है। शासन से निर्देश प्राप्त होने पर इस आराजी के सम्बंध में अलग से विचार किया जायेगा। इस आराजी को अभिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय कृषकों द्वारा मा० न्यायालय में वाद भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसका निस्तारण मा० न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	याचिका सं०	पक्षकार का नाम	प्रभावित गाटा सं०/क्षेत्रफल हे०	निर्णय का दिनांक
1	2	3	4	5
1	25912/05	डॉ०कैलाशपति द्विवेदी बनाम उ०प्र०सरकार	748मि०/0.412हे०	5.04.2005 व 10.04.2007
2	68358/05	अशर्फी देवी बनाम उ०प्र०सरकार	554/0.05-1/2	27.10.05
3	78651/05	रामजान खां बनाम उ०प्र०सरकार	883मि०/0.38डि०	22.11.05
4	74228/05	शाहिद अली बनाम उ०प्र०सरकार	846 0.800हे. का 1/3 भाग 591 592	06.12.05
5	36581/05	रामजीत बनाम उ०प्र०सरकार	695/0.328हे०	06.05.05

6	35775/05	बलराम जी मिश्र बनाम उ०प्र०सरकार	883मि०/0.130हे०	23.05.05
7	72131/05	शलामत बनाम उ०प्र०सरकार	644/0.440हे० 726/0.057हे०	24.11.05
8	72739/05	बेलास आदि बनाम उ०प्र०सरकार	746/0.224हे०	28.11.05
9	71691/05	सरस्वती देवी बनाम उ०प्र०सरकार	554/3079वर्गमी.	22.11.05
10	71691/05	याकिन अली बनाम उ०प्र०सरकार	570मि०/0.22डि०	22.11.05
11	68802/05	मदिना खातून बनाम उ०प्र०सरकार जोगी पुत्र फुलासी, सैफू मिठू, अजी मुल्लाह बैगरह	563/0.35डि० 732/0.436हे०	28.11.05
12	32927/05	कैलाश आदि बनाम उ०प्र०सरकार	588/0.927हे० 858/0.388हे०	26.07.05
13	35164/05	रामचन्दर यादव बनाम उ०प्र०सरकार	651/0.20डि०	23.05.05
14	69993/05	कोमल बनाम उ०प्र०सरकार	727/0.158हे० का 1/2 भाग	11.11.05
15	31410/05	जफरुद्दीन बनाम उ०प्र०सरकार	733/0.56डि० 651/0.10डि०	26.07.05
16	2739/05	चन्द्रभान सिंह बनाम उ०प्र०सरकार	753/0.202हे०	28.11.05
17	35775/05	चौद मोहम्मद बनाम उ०प्र०सरकार	553/0134हे०	23.05.05
18	73767/05	झकरी बनाम उ०प्र०सरकार	598/0.162हे० 601/0.144हे०	02.12.05
19	68339/05	जीमल अहमद बनाम उ०प्र०सरकार	697/0.300हे०	27.10.05
20	61716/05	गीता नायक पत्नी अनिल कुमार व रामनरायन पुत्र राम आधार इशा आनन्द व नेहा आनन्द बनाम उ०प्र०सरकार	639/0.243हे० 871/0.036हे०	19.09.05 19.09.05
21	70668/05	महमूद अली बनाम उ०प्र०सरकार	570मि०/0.409हे० का 1/3 भाग	16.11.05
22	78644/05	मकबूल बनाम उ०प्र०सरकार	736/0.175हे०	2.01.06

23	37297 / 05	नजीरुल्लाह आदि बनाम उ०प्र०सरकार	649 / 0.527हे० 855 / 0.008हे० 899 / 0.004हे०	23.05.05
24	30278 / 05	राम अचल शर्मा बनाम उ०प्र०सरकार	696 / 0.178हे०	21.07.05
25	78644 / 05	उग्रसेन सिंह व अन्य बनाम उ०प्र०सरकार साजमा खातून बनाम उ०प्र०सरकार	568 / 0.048हे० 732 / 0.10डि०	02.01.06
26	37185 / 05	रहमतुल्लाह बनाम उ०प्र०सरकार	733 / 0.247हे०	23.05.05
27	32945 / 05	शान्तीदेवी बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य	639 / 0.240हे० 653 / 0.14डि०	26.07.05

उपरोक्त सन्दर्भित याचिकाओं में मा० उच्च न्यायालय द्वारा याचीकर्ताओं को अपना प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग-3, उ०प्र०शासन लखनऊ के यहां प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित किया गया है। शासन द्वारा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त न करने का निर्णय लेते हुए याचिका कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

—: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :—

अध्याप्ति की गयी भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1) के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 15.07.04 से 3 वर्ष पूर्व तक के विक्रय पत्रों का संकलन उपनिबन्धक कार्यालय गोरखपुर से कराया गया। जिसमें कुल 68 विक्रय पत्र प्राप्त हुए जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर अंकित है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करते समय प्रभावित भूस्वामियों द्वारा कुल 11 विक्रय पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर हैं।

परिशिष्ट-1 पर अंकित विक्रय पत्र प्राइवेट कालोनाइजर्स द्वारा अविकसित भूमि को आवासीय भूमि के रूप में विकसित करके अति उच्च दर पर प्लॉटिंग करने के उपरान्त निष्पादित किये गये हैं। जिनकी दरों को प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन करना व्यवहारिक व न्यायसंगत नहीं होगा। अतएव परिशिष्ट-2 के विक्रय पत्रों पर प्रतिनिधि विक्रय पत्र के चयन हेतु विचार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है।

विक्रय पत्र सं० 1,9,12,18,19,20,25,45,51,52,55 व 61 के विक्रय पत्र मेडिकल कालेज गोरखपुर से उर्वरक कारखाना गोरखपुर को जोड़ने वाले सड़क से उत्तर तरफ स्थित है, और अधिग्रहण की जा रही भूमि इस सड़क से विपरीत दिशा अर्थात् दक्षिण स्थित है। यह सभी विक्रय पत्र अधिग्रहीत की जा रही भूमि के समान एवं समकक्ष नहीं है। अतः इन बैनामों से किसी भी विक्रय पत्र को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं होगा।

विक्रय पत्र सं० 53,60,63,66 व 67 के विक्रय पत्र मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर कारखाना को जोड़ने वाली सड़क के बिल्कुल सटे उत्तर तरफ व्यवसायिक उद्देश्य से विक्रय किये गये हैं, जो अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के समान एवं समकक्ष नहीं है। अतः इन विक्रय पत्रों की दरों पर अधिग्रहीत की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु विचार किया जाना उपयुक्त नहीं है।

विक्रय पत्र सं० 2,16 व 59 के विक्रय पत्र बहुत कम क्षेत्रफल के एवं आवासीय उद्देश्य से अति उच्च दर पर निष्पादित किये गये हैं एवं विक्रय पत्र सं० 4 व 50 के विक्रय पत्र कर्ज की अदायगी हेतु बिला मोल भाव किये ही निष्पादित किये गये प्रतीत होते हैं। ये सभी विक्रय पत्र अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व की क्षमता नहीं रखते हैं।

विक्रय पत्र सं० 5,6,17,42,47 व 57 के विक्रय पत्र अधिग्रहित की जा रही भूमि के बगल एवं ग्राम-मानवेला ही पीरू शहीद टोला एवं फर्टिलाइजर बाउन्ड्री के पूरब तरफ अबादी के मध्या स्थित है। ये सभी विक्रय पत्र भी अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व की क्षमता नहीं रखते हैं। अतः इन विक्रय पत्रों को भी प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उपयुक्त नहीं है।

विक्रय पत्र सं०-7,10,15,22,24,26,27,29,32,33,34,35,36,37,39,46,54,56,58 व 65 के विक्रय पत्र गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा प्राइवेट कालोनाइजरो के लिए अर्जन से मुक्त रखे गये अति विकसित क्षेत्र से सम्बन्धित है। इनका निष्पादन भूमि का प्लॉट विकसित करने के उपरान्त प्लॉटिंग करके अति उच्च दरो पर किये गये हैं। अतः ये सभी विक्रय पत्र अर्जित की जा रही भूमि के लिए व्यावहारिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व की क्षमता नहीं रखते हैं।

विक्रय पत्र सं०-3 व 28 आराजी सं०-56 जो अधिग्रहण के अन्दर स्थित है का विक्रय बाजार भाव के अनुरूप फर्टिलाइजर को जाने वाली सड़क से मानवेला ग्राम को जोड़ने वाली सड़क से पश्चिम तरफ विक्रय किया गया है। भिन्न-भिन्न तिथियों में अलग-अलग दरो पर निष्पादित किया गया है। जिनमें काफी असमानता है। अतः इन विक्रय पत्रों को प्रतिकर निर्धारण के लिए चयन किया जाना उपयुक्त, व्यावहारिक एवं न्यायसंगत नहीं है।

विक्रय पत्र सं०-8,31,48 व 68 मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर मार्ग से सटे दक्षिण तरफ अत्यन्त कम क्षेत्रफल के व्यावसायिक व दुकान बनाने के उद्देश्य से अति उच्च दर पर किये गये हैं जिन पर प्रतिकर निर्धारण हेतु विचार किया जाना व्यावहारिक एवं न्यायसंगत नहीं होगा।

विक्रय पत्र सं०-11 व 62 आराजी सं०-719 क्षेत्रफल 2400वर्गफीट व 4800 वर्गफीट के विक्रय किये गये हैं। ये दोनों विक्रय पत्र क्रेताओं द्वारा क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर से अधिक भुगतान करके आवास बनाने के उद्देश्य से क्रय किये गये हैं। अतः ये विक्रय पत्र भी अधिग्रहण की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

विक्रय पत्र सं०-13 मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर मार्ग से सटे दक्षिण तरफ व्यावसायिक/आवासीय उद्देश्य से अति उच्च दर प्राप्त करके निष्पादित किया गया है। जो अधिग्रहित की जा रही भूमि के लिए प्रतिनिधित्व की क्षमता नहीं रखता है।

विक्रय पत्र सं०-14 अधिग्रहण क्षेत्र के लगभग मध्य में स्थित है। यह विक्रय पत्र कर्ज की अदायगी हेतु विक्रेता द्वारा क्रेता को बाजार दर से कम धनराशि का भुगतान करके निष्पादित किया गया है। अतः इस विक्रय पत्र की दर पर भी अधिग्रहित की जा रही भूमि के मूल्यांकन हेतु विचार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

विक्रय पत्र सं०-21 व 23 अत्यन्त कम क्षेत्रफल मकान बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर से अधिक भुगतान करके क्रेता व विक्रेता के मध्य निष्पादित किये गये हैं। ये दोनों विक्रय पत्र भी अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व की क्षमता नहीं रखते हैं।

विक्रय पत्र सं० 30 यह विक्रय पत्र कृषि कार्य के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक दर प्राप्त करके निष्पादित किया गया है। जिसका प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व विक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं है।

विक्रय पत्र सं०-40 आबादी के निकट प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च दर प्राप्त करके निष्पादित किया गया है जो अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर निर्धारण के लिए प्रतिनिधित्व की क्षमता नहीं रखता है।

विक्रय पत्र सं०-41, 49 एक ही आराजी का विक्रय पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्र में आवास बनाने के उद्देश्य से प्राइवेट कालोनाइजर द्वारा उच्च दर प्राप्त करके निष्पादित किये गये हैं। इन बैनामो द्वारा प्रदर्शित दर भी अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिए चयन किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नहीं है।

विक्रय पत्र सं०-43, व 44 अधिग्रहण क्षेत्र के अन्दर स्थित है इनका निष्पादन प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक मूल्य प्राप्त करके किया गया है। ये दोनों विक्रय पत्र भी अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिए प्रतिनिधित्व की क्षमता नहीं रखते हैं।

विक्रय पत्र सं०-64 यह विक्रय पत्र आराजी सं०-876 क्षेत्रफल 0.450 हे० भूमि का विक्रेता को रु० 4 लाख भुगतान करके खरीदा गया है यह विक्रय पत्र विक्रेता द्वारा कर्ज की अदायगी एवं मकान बनाने के उद्देश्य से विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र में प्रचलित बाजार भाव कम दर प्राप्त करके बेचा गया प्रतीत होता है। यह विक्रय पत्र भी अधिक क्षेत्रफल एवं अधिग्रहण क्षेत्र के अन्दर स्थित होते हुए भी अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है।

तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात विक्रय पत्र सं०-1 से 37 तथा 39 से 68 तक के विक्रय पत्रों को विभिन्न कारणों से प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किये जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त पाया गया।

विक्रय पत्र सं०-38 यह विक्रय पत्र अधिग्रहीत क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग मध्य में स्थित है। इसका निष्पादन सामान्य परिस्थितियों में उचित मोल भाव करके किया गया है जो क्षेत्रीय बाजार भाव के अनुरूप है। यह विक्रय पत्र अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व की क्षमता रखता है।

सम्यक् विचारोपरान्त मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बड़े क्षेत्रफल का विक्रय पत्र है, तथा परिशिष्ट दो में उपलब्ध समस्त विक्रय पत्रों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा बैनामा है। ये विक्रय पत्र श्री शंकर पुत्र लखन द्वारा दिनांक 20.06.03 को आराजी सं०-639 रकबा-0.243 हे० यानि 60 डि० भूमि का रु० 2,86,000.00/- में श्रीमती गीता नायक पत्नी अनिल कुमार नायक व रामनारायण पुत्र स्व० रामअधर नायक के पक्ष में विक्रय किया गया है। यह विक्रय पत्र रु० 11,76,954.73 प्रति हे० की दर प्रदर्शित करता है जो अधिग्रहीत भूमि के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है।

अतः प्रतिकर निर्धारण के लिए विक्रय पत्र सं०-38 को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन करता हूँ।

स्थिति एवं उपयोगिता की दृष्टि से अर्जित की जाने वाली भूमि गोरखपुर मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर जाने वाली सड़क से दक्षिण तरफ स्थित है इसके मध्य में मानवेला की पुरानी आबादी, पूरब में ग्राम-फत्तेपुर में इसी योजना के अन्तर्गत अलग से अर्जित की जा रही भूमि एवं प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा इन्द्रप्रस्थ कालोनी एवं शिवम सहकारी आवास समिति के विकसित भूखण्ड एवं कालोनिया स्थित है दक्षिण तरफ ग्राम-हमीदपुर की पुरानी आबादी एवं ग्राम-पोखरभिण्डा उर्फ करीम नगर में इसी योजना हेतु अधिग्रहीत की जा रही भूमि स्थित है। इसके दक्षिण में भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा विकसित राष्ट्रीय आवासीय योजना फेज-4 एवं रेल बिहारी कालोनी स्थित है। अधिग्रहीत भूमि के पश्चिम तरफ मानवेला का ही टोला पीरू शहीद की पुरानी आबादी एवं फर्टिलाइजर कारखाने की बाउन्ड्री स्थित है।

अतः अर्जित की जा रही समस्त भूमि का प्रतिकर निर्धारण स्थित एवं उपयोगिता एक समान होने के कारण प्रतिनिधि विक्रय पत्र क्रमांक-38 की दर रु० 11,76,954.73 प्रति हे० की दर से एक समान दर से निर्धारित किया जाना उचित एवं

न्यायसंगत है। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा-77.539हे० भूमि में से रकबा-62.832/5/6 हे० भूमि का अधिकार दिनांक 29.12.05 को 0.887हे० भूमि का अधिकार दिनांक 28.09.06 को 8.509-5/6हे० भूमि का अधिकार दिनांक 22.02.07 को एवं 0.412हे० भूमि का अधिकार दिनांक 16.06.07 को कुल 72.641-2/3हे० भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय यानि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया। शेष भूमि का कब्जा विभिन्न कारणों हस्तान्तरित नहीं किया गया जिसका विवरण पूर्व में आ चुका है। अधिकार हस्तान्तरित की गयी कुल 72.641-2/3हे० भूमि में 0.426हे० भूमि पर पुनः प्रस्तावित भू-स्वामियों द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल कर अग्रिम आदेशों तक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है जिस पर फिलहाल मा० न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही नहीं की जायेगी जिसका विवरण पूर्व में आ चुका है। कब्जे में हस्तगत भूमि पर छिटपुट बृक्ष पाये गये जिन को सम्बन्धित भू-स्वामियों ने स्वतः काट लेने की इच्छा व्यक्त की है जिसकी अनुमति इन्हें दे दी गयी। अतः इनका प्रतिकर देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कब्जा ली गयी भूमि पर छिटपुट निर्माण टिन शेड व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण पाया गया जो धारा-4(1) के विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद भूमि को अधिग्रहण से बचाने के उद्देश्य से किया गया है जो अवैध है। इनका भी कोई प्रतिकर सम्बन्धित व्यक्तियों को देय नहीं होगा। सम्बन्धित व्यक्तियों को कब्जा देते समय इसका मलवा आदि उठा लेने की अनुमति दे दी गयी है।

अधिग्रहीत की गयी भूमि के क्षेत्रफल 12.1951214हे० के प्रतिकर निर्धारण एवं वितरण की कार्यवाही उ०प्र० करार नियमावली-1997 के अन्तर्गत मु० 28,00,000.00 रूपया प्रति हे० का दर निर्धारित करके मु० 3,41,46,340.00 को भुगतान सम्बन्धित कृषकों को किया जा चुका है।

अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रफल 60.0205452हे० भूमि का प्रतिकर मु० 11,76,954.73 रूपया प्रति हे० की दर से निर्धारित किया जाता है। जिसका प्रतिकर मु० 7,06,41,464.57 पैसा, 30% सोलेशियम मु० 2,11,92,439.37 पैसा व अतिरिक्त प्रतिकर 1,36,55,929.50 पैसा कुल योग 10,54,89,828.44 पैसा आता है। उक्त प्रगणित धनराशि के पूर्व निर्धारित/वितरित 80% अनुमानित प्रतिकर को घटा कर नियमानुसार ब्याज की गणना की जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिकर का विवरण निम्नवत है :-

अधिकार दिनांक 19.12.05 का विवरण :-

अर्जित क्षेत्र हे०	दर प्रति हे०	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग
51.9012119	11,76,954.73	6,10,85,376.84	1,83,25,613.05	1,06,84,083.43	9,00,95,073.32

ब्याज की गणना :-

अधिकार हस्तान्तरण दिनांक 29.12.05 से 28.12.06 तक 365 दिन 9% प्रति वर्ष की दर से दिनांक 29.12.06 से 09.02.09 तक 773 दिन का 15% की दर से -

प्रतिकर + 30% सोलेशियम रू० :- 7,94,10,989.89 पैसा

80% अनुमानित प्रतिकर रू० :- 4,89,05,196.80 पैसा

अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है, - 3,05,05,793.09 पैसा

ब्याज 9% की दर से रू० - 27,45,521.38 पैसा

ब्याज 15% की दर से रू० - 96,90,812.90 पैसा

योग :- रूपया - 01,24,36,334.28 पैसा

अधिकार दिनांक 28.09.06:-

अर्जित हे0	क्षे0	दर प्रति हे0	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग
0.3355		11,76,954.73	3,94,868.31	1,18,460.49	1,04,504.87	6,17,833.67

ब्याज की गणना :-

दिनांक 28.09.06 से 27.09.07 तक 365 दिन 9% की दर से । दिनांक 28.09.07 से 09.02.09 तक 500दिन 15% की दर से ।

प्रतिकर + 30% सोलेशियम रू0 :- 5,13,328.80 पैसा

80% अनुमानित प्रतिकर रू0 :- 3,16,133.14 पैसा

अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है :- 1,97,195.66 पैसा

ब्याज 9% की दर से रू0 - 17,747.61

ब्याज 15% की दर से रू0 - 40,519.66

योग :- 58,267.27

अधिकार दिनांक 22.02.07

अर्जित हे0	क्षे0	दर प्रति हे0	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग
7.7838333		11,76,954.73	91,61,219.42	27,48,365.83	28,67,336.18	1,47,76,921.43

ब्याज की गणना :-

दिनांक 22.02.07 से 21.02.08 तक 365 दिन 9% की दर से । दिनांक 22.02.08 से 09.02.09 तक 353 दिन 15% की दर से ।

प्रतिकर + 30% सोलेशियम रू0 :- 1,19,09,585.25 पैसा

80% अनुमानित प्रतिकर रू0 :- 73,34,508.88 पैसा

अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है :- 45,75,076.37 पैसा

ब्याज 9% की दर से रू0 - 4,11,756.87

ब्याज 15% की दर से रू0 - 6,63,699.44

योग :- 10,75,456.31

निर्धारित ब्याज पर आयकर की कटौती नियमानुसार प्रतिकर वितरण के समय करते हुए सम्बंधित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

अतः उपरोक्त निर्धारित दर के अनुसार ग्राम मानवेला में अर्जित कुल क्षेत्रफल 72.215-2/3हे0 (करार एवं अनिवार्य अर्जन) का प्रतिकर मु0 7,06,41,464.57 रू0 30% सोलेशियम मु0 2,11,92,439.37रूपया 12% अतिरिक्त प्रतिकर मु0 1,36,55,924.50 रू0 योग (अनिवार्य अर्जन) 10,54,89,828.44 एवं करार नियमावली 1997 के तहत एक मुस्त

धनराशि मु० 3,41,46,340.00 कुल योग मु० 13,96,36,168.44 पूर्णांक में 13,96,36,168.00 रुपया निर्धारित करता हूँ।

अध्याप्ति व्यय :- प्रतिकर की कुल अभिनिर्णित धनराशि मु० 13,96,36,168.00 रु० 10% की दर से मु० 1,39,63,617.00 रुपया अध्याप्ति निकाय से वसूल कर राजस्व खाते में जमा किया जायेगा।

पूँजीकृत मूल्य :- अर्जित भूमि के राजस्व रुपया 1950.42 का 150 गुना रु० 2,92,563.00 राज्य सरकार के राजस्व खाते में क्षतिपूर्ति हेतु अध्याप्ति निकाय से वसूल कर जमा किया जायेगा।

अतः मैं ग्राम मानवेला तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर को सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 72.215-2/3हे० भूमि (करार + अनिवार्य) का प्रतिकर 30% सोलेशियम व 12% अतिरिक्त प्रतिकर मु० 13,96,36,168.00 रुपया का अभिनिर्णय करता हूँ। अभिनिर्णित धनराशि में से पूर्व में वितरित 80% अनुमानित अग्रिम प्रतिकर को घटाने के पश्चात प्रतिकर + 30% प्रतिफल पर नियमानुसार ब्याज देय है। निर्धारित ब्याज की धनराशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती प्रतिकर वितरण के समय करके सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण भू अर्जन प्रपत्र 11 व अनुसूची 3 में अंकित है, जो इस अभिनिर्णय का अंग होगा।

अतः आज दिनांक 09.02.09 को अभिनिर्णय घोषित करते हुए अर्जन से प्रभावित कृषकों को पढ़ कर सुनाया गया तथा पूर्ण रूप से निर्धारित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

स्थान :- गोरखपुर।

दिनांक :- 09.02.09

S. D

(राम अभिलाष)

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं० सं०) गोरखपुर।

सत्यापित

दिनांक

9-2-09

S.L.A.O

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(सं० सं०) गोरखपुर

कार्यालय-विभागा भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर ।

अधिकार-पत्र

- 1- रानस्व ग्राम का नाम- मानवेली ।
- 2- परगना, तहसील एवं जिला- इवेली, सदर, गोरखपुर ।
- 3- अर्जन निकाय का नाम- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर ।
- 4- योजना का नाम- जनपद गोरखपुर में सुनिर्मित विकास योजनांतर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु ।
- 5- धारा-411/17 की विधि की तिथि- 15-07-2004
- 6- धारा-611/17 की विधि की तिथि- 24-02-2005
- 7- कब्जा परिवर्तन की तिथि- 29-12-2005
- 8- कब्जा देने का नाम- मुहम्मद अली

विभागा भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
गोरखपुर ।

भूमि का विवरण जितपर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया ।

अनुसूची

क्रमांक ग्राम का नाम धारा सं० अर्जित किया जाने वाले क्षेत्रफल हेक्टेयर में।
विवरण पीछे अंकित है ।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम- अविश्व कुमार सिंह
पदनाम- सहायक प्रभारी गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर
दिनांक- 29-12-05
सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम- मुहम्मद अली
पदनाम- अमीन
दिनांक- 29-12-2005

प्रति हस्ताक्षरित

विभागा भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
गोरखपुर ।

उत्तरा जिला	आजित की जमीन का आप का दस्तावेज (हस्ताक्षर में)	आजित की जमीन का आप पर समाप्ति को विवरण।
1	2	3
546	0-591	
547	0-040	
548	0-016	
549	0-749	
551	0-138	
553 मी.	0-223	
561	0-225	
565	0-182	
567 मी.	0-351 - 0-060 हेक्टेयर एमगन आदेश	
568 मी.	0-294 0-332 <u>अन</u>	
569 मी.	0-182	
569 मी.	0-360	
570 मी.	0-072	
572 मी.	0-227	
572 मी.	0-571	
575 मी.	0-120	
576	1-076	
577 मी.	0-248	
580	0-120	
581	1-875	
582	0-029	
583	0-134	

प्रभारी अधिकारी (मु.अ.अ.)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

2

1	2	3
504	0.437	
505	0.251	
507	1.157	
590	0.028	
591	0.110	
592	0.020	
594 700	0.053	
595	0.454	
597 700	0.430	
599 700	0.502	
630	2.416	
639	2.049	
645	0.101	
646	0.530	
647	0.040	
647	0.116	
651	0.041	
651	0.162	
652	0.016	
653	0.056 $\frac{1}{2}$	

3/11/20

प्रमुख भूमि व्यवस्थापक अधिकारी, प्रधारी अतिरिक्त (मृ-मजदूर)
संयुक्त संगठन कार्य
गोरखपुर

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर
मार्च 2023

1	2	3
654	0.291	
655	0.393	
656	0.506	
657	0.664	
658	0.150	
666	0.036	
667	0.004	
668 ³	0.074	
669 ²	0.336	
673 ²	0.592 $\frac{2}{3}$	
670 ²	0.207	
670 ²	0.001	
679	1.098	
688 ²	0.430	
691 ²	0.455	
693	0.170	
694	2.120	

7/11/2011

१७
विषय : इस अन्वेषिक आदेश में
संलग्न सूचीकृत प्रत्यक्ष ...
गिरिजापुर

प्रभारी अधिकारी (मू. अर्जन)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

387
370

4

1	2	3
696 प्रो	0-160	
699 प्रो	0-071	
699 प्रो	0-071	
700 प्रो	0-160	
700 प्रो	0-198	
701	0-431	
702 प्रो	0-372	
702 प्रो	0-125	
703 प्रो	0-336	
704 प्रो	0-254	
704 प्रो	0-127	
705	0-089	
706 प्रो	0-163	
706 प्रो	0-326	
706 प्रो	0-163	
707 प्रो	0-365	
708 प्रो	0-774	
711	0-020	

प्रमाणित
हस्ताक्षर

प्रमाणित भूमि अधिग्रहण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग
गोवर्धनपुर

प्रभासी अधिकारी (प्र-अर्थ)
गोवर्धनपुर विकास प्राधिकरण
गोवर्धनपुर

सचिव
गोवर्धनपुर विकास प्राधिकरण
गोवर्धनपुर - 5

1	2	3
714	0-343	
720 ² m	0-024	
722	0-097	
723	0-045	
727	0-150	
732 m	0-106	
736 m	0-175	
737 m	0-125	
737 m	0-376	
744	0-170	
745	0-409	
746 m	0-020	
747 m	0-535	
750	0-304	
751	0-117	
752	0-077	
753 m	0-168	
753 m	0-100	
753 m	0-111	

7/1/20

प्रशासी अधिकारी (प्र-वर्ग-१)
गोदुमपाटि. प्र. वि. वि. वि. वि.
गोदुमपाटि

प्रशासी अधिकारी (प्र-वर्ग-१)
गोदुमपाटि. प्र. वि. वि. वि. वि.
गोदुमपाटि

गोदुमपाटि. प्र. वि. वि. वि. वि.
गोदुमपाटि. प्र. वि. वि. वि. वि.
गोदुमपाटि. प्र. वि. वि. वि. वि.

1	2	3
753 ²	0-125	
753 ⁷	0-137	
753 ⁵	0-125	
754	0-510	
755	1-021	
756	0-077	
757	0-300	
759	0-267	
760	0-077	
762 ¹	0-231	
762 ¹	0-089	
764	0-005	
765	0-036	
766	0-125	
767	0-008	
768 ¹	0-001	
768 ¹	0-243	
769	0-376	
770	0-247	

369
अमीन

प्रमुख नृमि अन्वेषण अधिकारी
संयुक्त संगठन क्वार्टर
गोरखपुर

प्रभारी अधिकारी (प्र-मार्ग)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

1	2	3
772 B	c-163	
779 B	c-997	
794 B	c-585	
795	2-164	
796	c-121	
797	c-225	
022 B	c-520	
024 B	c-172	
034 B	c-102	
030 B	c-072	
044 B	c-004	
045 B	c-080	
045 B	c-000	
046 B	c-533 $\frac{2}{3}$	
040	c-012	
049	c-134	
050	c-676	
051 B	c-032	
051 B	c-016	
052	c-006	

guy
moh

पशु मृग अन्वेषण विभाग प्रभावी,
शिकार संग्रहण कक्ष गोरखपुर
गोरखपुर

10/1/20

सचिव
शिकार संग्रहण विभाग
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

1	2	3
053	0-360	
054	0-081	
055	0-004	
055	0-008	
055	0-020	
056	0-190	
056	0-190	
057	0-203	
060	0-264	
060	0-035	
064	0-223	
065	0-391	
067	0-117	
070	0-105	
070	0-300	
072	0-413	
074	0-125	
075	0-194	
076	0-090	

3/11/2017

प्रमुख अधिकारी (प्रभु-अर्जुन)
प्रमुख सहायक अधिकारी
गोरखपुर

प्रमुख अधिकारी (प्रभु-अर्जुन)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

1	2	3
077	1-295	
070 फी	c-016	
079	c-166	
080	c-016	
081 फी	c-000	
081 फी	c-004	
082	c-547	
085	c-012	
086 फी	c-104	
093 फी	c-500	
095 फी	c-400	
096	c-397	
099 फी	c-008	
099 फी	c-004	
099 फी	c-008	
099 फी	c-008	
099 फी	c-004	
100 फी	c-918	
101	c-239	
102 फी	c-000	

3/11/20

श्री २५५ अग्र्याप्त अधि. ३. ३
संकेत संग्रहण तालिका
गोरखपुर

प्रभारी लेखिकारी (भू. प्रान्त)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर 10

	2	3
903	0-376	
904	0-239	
906	0-106	
907	0-316	
908	0-567	
909	0-967	
910	0-991	
911 मी.	1-380	
912 मी.	0-245	
913	0-352	
मु.ग. गा.स.	62-892 $\frac{5}{6}$ हेक्टेयर 0-060 हेक्टेयर लागत क्रि.स. क्र.स. नं. 567 मि. 62-832 $\frac{5}{6}$ हेक्टेयर का अधिकार दिना गमा।	

मु. व. व. व. व. व.
अ. म. ल.

पि.स. व. म. म. व. व. व. व. व.
प.स. व. व. व. व. व. व.
ग. व. व. व. व. व.

प्र.स. व. व. व. व. व. व.
ग. व. व. व. व. व. व.
ग. व. व. व. व. व.

स. व. व. व. व. व. व.
ग. व. व. व. व. व. व.
ग. व. व. व. व. व.

BHULEKH

Uttar Pradesh

[←](#) Hindi


खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : मानकेला	परगना : (हिवेली)	तहसील : सदर	जनपद : गोरखपुर	फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026)	भाग : 1	खता संख्या : 00001
खतदार का नाम / पिता प्रति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अंश	टिप्पणी		
श्रेणी 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गौरवभा या अन्य स्थानीय अधिकारी की वित्त 1950 ई. के उ. प्र. ज. वि. एच भू. व्य. अधि. की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रत्यक्ष सौंपा गया हो, खेती करता हो।						
उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर / . / .						
	653 मि.	0.0560	परगना से प्राप्त उपविभाधिकारी सदर गोरखपुर वार्ड स. 146/1/12-11-12/20-01-13 राजाराम अर्द्धि वनाम गोवर्धन अर्द्धि। दावा हस्त दफा 176 का अंशदाखला खता सं. 256 (अ. नं. 472 मि./0.025 के खता) पर दर्ज है।			
	572	0.7980				
	553/1	0.1340				
	753	1.3580				
	852	0.8060				
	673 मि.	0.6520	ना. तह. नगर वार्ड स. 2002/23-2-15 अ. स. 568 रकबा 0.98 हे. अपने एक व हिस्सा लगान परता 60 ख से विधेता शाहन्वाज तैकरी खाँ तन्वीर अमर सिलिल जब (सी. डि. कोट नं.-14) गोरखपुर मुल्किम, जालेद, कुंसे बालिग पुनरा स्व. अस्तम व श्रीमती हदीचन निशा पट्टी स्व. अस्तम निवासी गण भौजा मानकेला का नाम खारीब करके जेता दिया जायसखला पुनी छेदी प्रसाद जायसखला कार्यकारी निदेशक जायसखला कलोनारजर्स मरिह भवन रानीनगर गोरखपुर का नाम पदीकृत जेनाम के अकार पर कौरै संकमणीय भूमि पर दर्ज कागजात होवे।			
	898	0.3970				
	645	0.1010				
	901	0.2390				
	655	0.3930				
	638	2.4160				
	870 मि.	0.4050				
	722	0.0970				
	903	0.3760				
	902 मि.	0.0080				
	795	2.1440				
	895 मि.	0.4000				
	547	0.0400				
	796	0.1210				
	904	0.2390				
	584 मि.	0.4370				
	766	0.1250				

871	0.3360
696₹.	0.8190
750	0.3040
910	0.9910
595	0.4540
656	0.5060
588	0.9670
858	0.3880
569₹.	0.3600
857	0.2830
707₹.	0.3650
772₹.	0.1630
765	0.0360
658	0.1500
748	0.9470
646₹₹.	0.5300
701	0.4210
688₹.	0.4300
890₹.	0.1040
907	0.3160
694	2.1280
580	0.0200
744	0.1700
764	0.0850
769	0.3760
647	0.1860
697₹.	0.3000
893₹.	0.5800
657₹.	0.3640
727	0.1580
594₹.	0.0530
598₹.	0.1620

601₹.	0.1440
755	1.8210
576	1.0960
565	0.1820
720₹.	0.0240
877₹.	1.2950
879	0.6640
691₹.	0.4550
853	0.3600
752	0.0770
649₹.	0.5270
708₹.	0.7740
711	0.0200
639₹.	2.5320
678₹.	0.4250
797	0.2350
746	0.4740
760	0.0770
546	0.5910
669₹.	0.3360
758	0.3880
591	0.1580
592	0.0200
872	0.4130
703	0.3360
714	0.2430
554₹.	0.3110
652	0.0160
553/2₹.	0.2230
882	0.5470
583	0.1340
599₹.	0.5220

849	0.1340
876	0.5390
878ft	0.0160
880	0.0160
794ft.	0.5850
570ft.	0.2160
736ft.	0.1750
575ft.	0.4220
581	1.9950
874	0.1250
695ft	0.3280
577ft.	0.2680
671ft.	0.2100
563ft.	0.3480
875	0.1940
789ft.	0.9970
867	0.1170
754	0.5180
909	0.9670
567ft.	0.2940
733ft	0.2470
705	0.0890
864	0.2230
759	0.2670
585	0.2510
693	0.4700
679	1.8980
906	0.1860
913ft.	0.2450
767	0.0080
854	0.0810
770	0.2470

551	0.1380
548	0.0160
863	0.3520
822ft.	0.5200
862ft.	0.0350
911ft.	1.3800
836ft.	0.1820
597ft.	0.4300
838ft.	0.0720
846ft.	0.8000
582	0.0890
666	0.0360
561	0.2350
850	0.6760
848	0.0120
726	0.0570
644ft.	0.4400
908	0.5670
824ft.	0.1720
860ft.	0.2640
590	0.0280
587	1.1570
844ft.	0.0840
751	0.1170
756	0.0770
667	0.0040
668ft.	0.8740
654	0.2910
549	0.7490
568	0.8140
651	0.3240
699	0.1420

	700 मि.	0.3580	
	702 मि.	0.4970	
	704 मि.	0.3810	
	706	0.6520	
	723	0.0450	
	732	0.6700	
	737	0.5010	
	745	0.4090	
	762	0.3200	
	768	0.3240	
	845 मि.	0.1600	
	851 मि.	0.0480	
	855 मि.	0.0400	
	856	0.3960	
	865 मि.	0.3920	
	881	0.0120	
	883 मि.	1.0940	
	899	0.0360	
	900 मि.	0.9180	
योग	169	71.6770	

कृपया उक्त खसरे की प्रामाणिकता (थुलहट (गुण) के बाद प्रस्ता/विज्ञापन/प्रमाणिकता/नमोदित करी) हेतु खसरा संख्या पर विचार करें

Disclaimer: उक्त सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान किया गया है, उक्त विवरण अद्यतन है, तबतक कागजात केन्द्र प्रमाण की आवश्यकता है, तबतक कागजात केन्द्र से उद्घरण की प्रामाणिकता प्रमाण की आवश्यकता है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.